प्रेस नोट

1. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के लिए दिनांक 10 तथा 11 फरवरी, 2021 को वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ने प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया।

2. अभ्यार्थियों को परीक्षा मे पूछे गए प्रश्नों के संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए दिनांक 17.02.21 से 7 दिन का समय दिया गया। यह निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है।

3. दिनांक 18.02.21 से टिव्टर, समाचार पत्रों आदि से यह शिकायतें प्राप्त होना शुरू हुई कि कतिपय केन्द्रों पर कतिपय परिक्षार्थियों के अंक अत्यधिक हैं, जो कि उनकी अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों के अनुरूप नहीं है।

4. शिकायत की जांच प्रथमतः व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आंतरिक समिति द्वारा की गई। इसके अंतर्गत जिन केन्द्रों के संबंध में शिकायत थी उनके CCTV फुटेज देखे गये तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए जो आंतरिक प्रक्रिया निर्धारित है उसका परीक्षण भी किया गया। परीक्षा संचालन की सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। तदोपरांत विस्तृत तकनीकी जांच के लिए मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम (SEDC) का सहयोग लिया गया। SEDC के तकनीकी विशेषज्ञों ने परीक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के इलेक्ट्रानिक रिकार्ड (digital footprints) की जांच की। डिजिटल ऑन लाईन परीक्षा में जो भी गतिविधि होती है उदाहरणतः प्रश्न पत्र प्राप्त करना, उसे अभ्यार्थी तक भेजा जाना, अभ्यार्थी द्वारा प्रश्न पत्रों को हल करना, आदि का इलेक्ट्रानिक रजिस्टर स्वतः संधारित होता है। इसे लॉग (log) कहा जाता है। किसी भी ऑनलाइन परीक्षा में इस तरह के लॉग की संख्या लाखों लाइनों में होती है। SEDC विशेषज्ञों की टीम ने बहुत बड़ी संख्या की इन लॉग्स् का परीक्षण किया।

5. मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड ने विस्तृत जांच के उपरांत दिनांक 10.02.21 को करीब 1.30 बजे पर एक लॉग पाया जिससे यह प्रतीत होता है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को अनधिकृत रूप से डाऊनलोड किया गया। यह डाऊनलोड व्यावसायिक परीक्षा मंडल के कम्प्यूटर पर नहीं हुआ बल्कि सिस्टम के बाहर से किसी कम्प्यूटर में डाऊनलोड हुआ। यह एक अनाधिकृत गतिविधि है जो परीक्षा संचालन की मानक प्रणाली के अनुसार नहीं है। इस गतिविधि से परीक्षा की शुचिता के दूषित होने की आशंका उत्पन्न हुई है।

6. किसी परीक्षा में किसी एक ही शहर/केन्द्र में अभ्यार्थियों का अत्यधिक अंक प्राप्ति, शंका का आधार हो सकता है परन्तु परीक्षा को निरस्त करने का युक्तियुक्त आधार नहीं हो सकता है। अतः मात्र यह शिकायत होने पर कि किसी एक केन्द्र में अनेक अभ्यार्थियों को अत्यधिक अंक प्राप्त हुए हैं, परीक्षा को निरस्त करने का आधार नहीं है। परन्तु मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम की जांच में परीक्षा संचालन करने की मानक प्रणाली के विपरीत गतिविधि की प्रथम दृष्टया जानकारी होने पर परीक्षा को निरस्त करना आवश्यक है।

7. प्रकरण में उत्पन्न तथ्यों के आधार पर यह आवश्यक है कि यह जांच की जाए कि प्रश्न पत्र का किस अनाधिकृत कम्प्यूटर से डाऊनलोड हुआ तथा उसका क्या उपयोग हुआ। इसके लिए अग्रिम अन्वेषण की आवश्यकता होगी। इसके लिए मामला पुलिस के सायबर विंग को सौंपा जावेगा। मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड की जांच के आधार पर 10 तथा 11 फरवरी को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के लिए आयोजित परीक्षा को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की परीक्षा के संबंध मे की गई जांच के बाद व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ने निर्णय लिया कि वर्ष 20-21 मे आयोजित समस्त भर्ती एवं प्रवेश (entrance) परीक्षाओं के घोषित एवं अघोषित परिणामों की वैसी ही जांच करें जैसी कि कृषि विभाग की परीक्षा के संबंध में की गई, भले ही उनके संबंध मं कोई शिकायत प्राप्त नहीं थी।

इस जांच में पूर्व मे परिणाम घोषित i) DAHET (पशुपालन विभाग) प्रवेश परीक्षा, ii) PVFT (पशुपालन विभाग) प्रवेश परीक्षा, iii) PAT (कृषि विभाग) प्रवेश परीक्षा एवं iv) ग्रुप-3 (सब इंजीनियर) भर्ती परीक्षा के संचालन में ऐसी कोई गतिविधि नहीं पाई गई जो कि मानक प्रक्रिया के विपरीत है।

इस जांच में परिणाम अघोषित i) प्री-नर्सिंग प्रवेश परीक्षा ii) ए.एन.एम प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा iii) जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा iv) ग्रुप-5 पेरमेडिकल सेवाओं की (24 प्रकार के पदों पर) भर्ती परीक्षा के संचालन में ऐसी कोई गतिविधि नहीं पाई गई जो कि मानक प्रक्रिया के विपरीत है। अतः इन परीक्षाओं के परिणाम दिनांक 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, तथा 12 मई को घोषित किये गये।

9 .व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ने ग्रुप-2, सबग्रुप-4 भर्ती परीक्षा तथा ग्रुप-5 पेरमेडिकल सेवाओं (स्टाफ नर्स) की भर्ती परीक्षा की जांच में, प्रथम दृष्टया जानकारी पाया है कि इन परीक्षाओं के संचालन में भी क्रमशः 30.1.21 को करीब 1.30 बजे तथा 7.1.21 को 9.00 बजे अनधिकृत रूप से प्रश्न पत्रों के डाउनलोड करने की गतिविधि हुई हैं। इन दोनों परीक्षाओं के संबंध में मण्डल को किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। परन्तु क्योंकि यह गतिविधि परीक्षा संचालन प्रणाली के मानकों के अनुरूप नहीं थी, इन दोनों परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित न करने तथा इन्हें निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

10.संचालन एजेन्सी M/S NSEIT लिमिटेड के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। आगामी परीक्षाओं में इस संचालन एजेन्सी का उपयोग नहीं किया जावेगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन तीन परीक्षाओं को निरस्त किया गया उनके संचालन में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आंतरिक प्रशासनिक सिस्टम में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। वस्तुतः सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश किसी बाहरी कम्प्यूटर से किया जाना प्रतीत हुआ है।

12. ऑन लाईन परीक्षा के सिस्टम में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर उसका दुरूपयोग करने के उदाहरण निरंतर मिलते रहते हैं। भारतीय सेना की भर्ती परीक्षा फरवरी 2021 में, असम की पुलिस भर्ती सितम्बर 2020 में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा जनवरी 21 में, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा जनवरी 2021 में, राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा जनवरी 2020 में, ऐसे ही कारणों से निरस्त करनी पड़ी ।

13. परीक्षा के ऑन लाईन संचालन के लिए व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड ने M/S NSEIT लिमिटेड कम्पनी का प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शी प्रक्रिया से चयन किया था। यह नेशनल सटाक एक्सचेंज की 100 प्रतिशत सब्सीडियरी कम्पनी है, जो आज तक दिल्ली, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चित बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं गुजरात जैसे राज्यों में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की है। अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं ने अपनी परीक्षाएं इस एजेन्सी के माध्यम से संचालित कराई है।

उदाहरणार्थ-

1. इंडियन इन्स्टीटूट आफ बैकिंग एंड फाइनेंस
2. युनीक इंडेटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया
3. रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स भुवनेश्वर
4. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती मण्डल लखनऊ
5. रेल्वे भर्ती मंडल चेन्नई
6. आरडीनेंस फेक्ट्री मेडक (रक्षा मंत्रालय)
7. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
8. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9. आई.डी.बी.आई बैंक
10. बी.एस.एन.एल
11. बी.पी.सी.एल
12. आई.आर.डी.ए
13. आई.सी.ए.आई
14. एम्स दिल्ली

14. भविष्य में पुनः इस प्रकार की कोई अनधिकृत गतिविधि ऑनलाईन परीक्षा संचालन में न हो इसके लिए व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड ने नई आंतरिक व्यवस्था की है। साथ ही प्रत्येक परीक्षा के पश्चात् उसकी शुचिता सुनिश्चित करने के लिए एवं परिणाम डाटा की आंतरिक जांच के लिए भी नई प्रक्रिया स्थापित की है।